

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Hi. 444]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2014/भाद्र 3, 1936

No. 444]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2014/BHADRA 3, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त। 2014

सा.का.नि. 612(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण)(पांचवां संशोधन) नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,---
- (क) अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	10 - 0	मानक	
(1)	(2)	(3)			
"10	सीमेंट मानक (बिना प्रसंस्करण के), एकल आधार का खंगर पिसाई संयंत्र या सम्मिश्रण संयंत्र	क. उत्सर्जन मानक			
			(i) धूर्णक भठ्ठा	– विना प्रसंस्करण	के
			प्रारंभ की तारीख		अधिकतम सान्द्रता, मि.ग्रा./एन.एम.³ में
			(事)	(অ)	(刊)
				देश में किसी भी	30

The state of the s		तारीख से ही	स्थान पर	(01.01.2016 से)	
			1.0 लाख से अधिक जनसंख्या वाले या उसके	50 (01.01.2015 से)	
	विवत्त पदार्थ	अधिसूचना की तारीख से पूर्व	5.0 कि.मी. परिधि के भीतर संकटकालीन	30 (01.06.2016 से)	
# W. M.T. B			प्रदूषित क्षेत्र या शहरी केंद्र	Z a F F	
			संकटकालीन	100	
			प्रदूषित क्षेत्र या,	77	
			शहरी केंद्र से भिन्न	30 (01.01.2016 से)	
	सल्फर डाई- आक्साइड (SO ₂)	प्रारंभ की तारीख को ध्यान में रखे बिना	Company Description Control	100	
	नाइट्रोजन डाई- आक्साइड	अधिसूचना की तारीख से ही	देश में किसी भी स्थान पर	600 (01.06.2015 से)	
	(NO ₂)		देश में किसी भी स्थान पर	800 (01.01.2016 से)	
	(ii) उर्ध्वाकार शाफ्ट भठ्ठा – (बिना प्रसंस्करण के)				
- Individual in the last			देश में किसी भी स्थान पर	50 (01.06.2016 से)	
			1.0 लाख से अधिक जनसंख्या वाले या उसके		
	विवत्त पदार्थ	अधिसूचना की तारीख से पूर्व	5.0 कि.मी. परिधि के भीतर संकटकालीन प्रदूषित क्षेत्र या शहरी केंद्र	75 (01.06.2016 से)	
			संकटकालीन प्रदूषित क्षेत्र या शहरी केंद्र से भिन्न	150 (01.01.2015 से)	
	सल्फर डाई- आक्साइड (SO ₂)	i nji ken		200 (01.01.2016 सें)	
	नाइट्रोजन डाई- आक्साइड	-	-	500 (01.01.2016 सें)	

(NO₂)

टिप्पण:

क. प्रत्येक चिमनी की ऊंचाई, जिसके अंतर्गत खांगर पिसाई संयंत्र, कोयला मिल, अपरिष्कृत मिल, पिसाई, संवेष्टन अनुभाग, आदि भी है, अधिकतम 30 मीटर या H = 14 (Q)^{0.3} सूत्र के अनुसार रहेगी, जो भी अधिक हो, जहां H चिमनी की ऊंचाई मीटर में और "Q" चिमनी के माध्यम से सल्फर डाई-आक्साइड SO₂ के अधिकतम उत्सर्जन की कि.ग्रा./प्रति घंटा प्रत्याशित मात्रा है, जो संयंत्र के शत-प्रतिशत रेटिंग क्षमता और गैस के उत्सर्जन के संनियम के अनुसार परिकलित होगी।

ख. यदि भट्टे में खांगर बनाने के लिए पेट कोक को कोयले के साथ मिश्रित करके प्रदत्त किया जाता है या पेट कोक को ही प्रयुक्त किया जाता है तो वहां भी उपरोक्त संनियम लागू होंगे, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पेट-कोक

को "अनुमोदित ईंधन" अधिस्चित किया गया है।

ग. सल्फर डाई-आक्साइड SO₂ और नाइट्रोजन डाई-आक्साइड NO₂ की मानीटर किए सभी परिमाण को शुष्क आधार पर 10% आक्सीजन तक सुधार किया जाएगा। सल्फर डाई-आक्साइड SO₂ और नाइट्रोजन डाई-आक्साइड NO₂ के संनियम भट्टे से संलग्न चिमनियों को लागू होंगे।

घ. उत्सर्जनों के मार्जन के लिए आशयित मार्जक को शमन करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे संयंत्र, जो मार्जक यूनिट के लिए गैस उत्सर्जन हेतु पृथक्तः चिमनी रखते हैं उसके चिमनी की ऊंचाई कम से कम मुख्य चिमनी की ऊंचाई के

समान होगी।

ख-अपशिष्ट जल सफाई (बिना प्रसंस्करण के)

उद्योग के द्वारा आपूर्ति अपशिष्ट जल को 'शून्य निस्सारण' के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। उद्योग के आपूर्ति अपशिष्ट जल निस्सारण चाहने की दशा में निम्नलिखित सन्तियमों का पालन किया जाएगा:

अधिकतम सान्द्रता, मि.ग्रा./एन.एम.३ (pH और तापमान के सिवाय)		
5.5 से 9.0		
100		
10		
पक जल के तापमान से 5ºC से अधिक उच्चतर न हो।		

ग-वर्षाजल

(I) वर्षा जल को बहि:स्राव, उपचारित मल, मार्जक जल और/या तल घुलाई अपजल के साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(II) वर्षा जल को 10 मिनट (प्रति घंटे औसत) की संग्रहण क्षमता रखने वाले प्रत्येक उच्च सघनता के बहुशिल्पी रेखा वाले गढ्ढे के माध्यम से होकर गुजरने वाले प्राकृतिक ढाल के अनुरूप पृथक्कत: नाले (नालों) को उद्योग की प्रवाह सीमाओं के भीतर उसके आवाह क्षेत्र के लिए प्रणालीकृत करके बहाया जाएगा।"। (ख) अनुसूची 6 में, साधारण उत्सर्जन मानक से संबंधित भाग घ के अधीन, भार/मात्रा आधारित मानक से संबंधित मद 3 में, क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"10	सीमेंट मानक (बिना प्रसंस्करण के)	धूर्णक भट्टा पर आधारित संयंत्र (अपरिष्कृत मिल, भट्टा और पूर्ण खांगर सिस्टम को साथ चलने से विवत्त पदार्थ)	खांगर का 0.125 कि.ग्रा./टन (01.01.2017 से)
	receisi	उर्ध्वाधर शाफ्ट भट्ठा आधारित संयंत्र (अपरिष्कृत मिल, भट्ठा के साथ चलने से प्राप्त विवत्त पदार्थ)	खांगर का 0.50 कि.ग्रा./टन (01.01.2017 से) ।"।

[फा. सं. क्यू.-15017/30/2007-सी.पी.डब्ल्यू.]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 844(अ), 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. सं. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. सं. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. सं. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010; सा.का.नि. सं. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. सं. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. सं. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. सं. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. सं. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. सं. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. सं. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. सं. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; और सा.का.नि. सं. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; और सा.का.नि. सं. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012; सा.का.नि. सं. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. सं. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. सं. 771(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. सं. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. सं. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. सं. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 और सा.का.नि. सं. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2014

G.S.R. 612(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Fifth Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,-
- (a) in Schedule I, for serial number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

S. No.	Industry	Parameter	Standards				
(1)	(2)	(3)	(4)				
"10	Cement Plant (without coprocessing) , Standalone Clinker Grinding Plant or, Blending Plant		A Emission Standards				
			(i) Rotary Kiln - without coprocessing				
			Date of Commissioning	Location	Concentration not to exceed, in mg/ Nm ³		
			(a)	(b)	(c)		
		Particulate Matter	on or after the date of notification	anywhere in the country	30 (with effect from 01.01.2016)		

2), 5	_T-2-1112	6		critically polluted area or urban centres with population above 1.0 lakh or within its	50 (with effect from 01.01.2015)
			before the date of notification	periphery of 5.0 kilometre radius	(with effect from 01.06.2016)
				other than critically polluted area or urban	100 (with effect from 01.01.2015)
				centres	30 (with effect from 01.06.2016)
		Sulphur Dioxide (SO ₂)	irrespective of date of commissioning	anywhere in the country	100
Q/C		Nimes State	on or after the date of notification	anywhere in the country	600 (with effect from 01.06.2015)
		Nitrogen Dioxide (NO ₂)	before the date of notification	anywhere in the country	800 (with effect from 01.01.2016)
				2.60	
(1)	(2)	(3)	(a)	(4) (b)	(c)
			000	ln – (without coprocessin	
			on or after the date of notification	anywhere in the country	50 (with effect from 01.06.2016)
		Particulate Matter		critically polluted area or urban Centres with population above 1.0 lakh or within its	100 (with effect from 01.06.2015)
		(PM)	before the date of notification	periphery of 5 kilometre radius	75 (with effect from 01.06.2016)
		ellenen.		other than critically polluted area or urban centres	150 (with effect from 01.01.2015)
		Sulphur Dioxide (SO ₂)		-	200 (with effect from 01.01.2016)
		Nitrogen Dioxide			500 (with effect from

		The state of the s	
	Note :		
	a. The height of each stack including, Packaging Section, each formula H=14 (Q) ^{0.3} , whicheve and "Q" is the maximum quant stack at 100 per cent rated cap gaseous emission.	tc. shall be of a mining r is more, where "H" ity of SO ₂ expected to	num of 30 metres or, as per the is the height of stack in metre be emitted in kg/hr through the
1	 Above norms shall be applicable clinker making in kiln provided concerned State Pollution Conta (Prevention and Control of Polls 	, pet-coke has been no ol Board/ Pollution C	tified as 'approved fuel' by th
	c. All monitored values for SO ₂ and The norms for SO ₂ and NO ₂ sha		
	d. Scrubber meant for scrubbing er separate stack for gaseous emi shall be atleast equal to the main	ssion for the scrubbin	

(1)	(2)	(3)	(4)	
1.		B Service wastewater- (without coprocessing) All efforts shall be made by the industry for 'zero discharge' of service wastewater. In case, the industry prefers to discharge service wastewater, the following norms shall be complied with:		
			Concentration not to exceed, milligramme per litre (except pH and temperature)	
		pH	5.5 to 9.0	
		Suspended Solids	' 100	
	y	Oil and Grease	10	
		Temperature	not more than 5°C higher than the intake water temperature	
		C Stormwater		
		and/ or floor was (II) Stormwater with drain(s) as per na	in battery limits of industry shall be channelized through separate atural gradient passing through high density polyethylene lined pit(s) ding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall for its	

(b) in Schedule VI, under 'PART-D' relating to General Emission Standards, in item III relating to Load/Mass based standards, after serial number 9, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	· (2)	(3)	(4)
"10	Cement Plan (without coprocessing)	Rotary kiln based plants (Particulate Matter from raw mill, kiln and pre-calciner system put together).	0.125 Kg/ tonne of clinker (with effect from 01.01.2017)
		Vertical shaft kiln based plants (Particulate Matter from raw mill and kiln put together)	0.50 Kg/ tonne of clinker (with effect from 01.01.2017).".

[F. No. Q-15017/30/2007-CPW]

DR. RASHID HASAN, Advisor

Note: —The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E), 19th November, 1986 and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 433 (E), dated 18th April 1987; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; and G.S.R. 325(E), dated the 7th May, 2014.